

CHAPTER – XIII

AUDIT

Section 65 : Audit by tax authorities

- (1) The Commissioner or any officer authorised by him, by way of a general or a specific order, may undertake audit of any registered person for such period, at such frequency and in such manner as may be prescribed.
- (2) The officers referred to in sub-section (1) may conduct audit at the place of business of the registered person or in their office.
- (3) The registered person shall be informed by way of a notice not less than fifteen working days prior to the conduct of audit in such manner as may be prescribed.
- (4) The audit under sub-section (1) shall be completed within a period of three months from the date of commencement of the audit:

Provided that where the Commissioner is satisfied that audit in respect of such registered person cannot be completed within three months, he may, for the reasons to be recorded in writing, extend the period by a further period not exceeding six months.

Explanation.—For the purposes of this sub-section, the expression “commencement of audit” shall mean the date on which the records and other documents, called for by the tax authorities, are made available by the registered person or the actual institution of audit at the place of business, whichever is later.

- (5) During the course of audit, the authorised officer may require the registered person,—
 - (i) to afford him the necessary facility to verify the books of account or other documents as he may require;
 - (ii) to furnish such information as he may require and render assistance for timely completion of the audit.
- (6) On conclusion of audit, the proper officer shall, within thirty days, inform the registered person, whose records are audited, about the findings, his rights and obligations and the reasons for such findings.
- (7) Where the audit conducted under sub-section (1) results in detection of tax not paid or short paid or erroneously refunded, or input tax credit wrongly availed or utilised, the proper officer may initiate action under section 73 or section 74.

अध्याय 13

लेखापरीक्षा

धारा 65 : कर प्राधिकारियों द्वारा लेखापरीक्षा

- (1) आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी साधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की ऐसी अवधि, ऐसी आवृत्ति और ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में लेखापरीक्षा कर सकेगा।
- (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के कारबार के स्थान पर या अपने स्वयं के कार्यालय में लेखापरीक्षा का संचालन कर सकेगा।
- (3) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को लेखापरीक्षा के संचालन से कम से कम पन्द्रह कार्य दिवस पूर्व ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सूचना के माध्यम से लेखापरीक्षा के संचालन की सूचना दी जाएगी।
- (4) उपधारा (1) के अधीन लेखापरीक्षा को, लेखापरीक्षा के आरंभ होने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा :
परन्तु जहां आयुक्त को यह समाधान हो जाता है कि ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में लेखापरीक्षा तीन मास के भीतर पूरा नहीं की जा सकती है तो वह कारणों को लेखबद्ध करते हुए छह मास से अनधिक की और अवधि के लिए उसका विस्तार कर सकेगा।
स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए “लेखापरीक्षा का आरंभ” से वह तारीख अभिप्रेत होगी, जिसको कर प्राधिकारियों द्वारा मांगे गए अभिलेख और दस्तावेज रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उपलब्ध करा दिए जाते हो या कारबार के स्थान पर, लेखापरीक्षा वास्तविक रूप से आरंभ की जाती है, इनमें से जो भी पश्चात्तर्वती हो।
- (5) लेखापरीक्षा के अनुक्रम में प्राधिकृत अधिकारी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से निम्नलिखित की अपेक्षा कर सकेगा,—
 - (i) लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों का उसकी अपेक्षानुसार सत्यापन के लिए उसे आवश्यक सुविधा प्रदान करने;
 - (ii) उसे ऐसी जानकारी, जिसकी वह अपेक्षा करे, प्रस्तुत करने की तथा लेखापरीक्षा को समय पर पूर्ण करने के लिए सहायता प्रदान करने।
- (6) लेखापरीक्षा के पूर्ण होने पर समुचित अधिकारी तीस दिन के भीतर उस रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिसके अभिलेखों की लेखापरीक्षा की गई है, निष्कर्षों, उसके अधिकारों और बाध्यताओं तथा ऐसे निष्कर्षों के कारणों की सूचना देगा।
- (7) जहां उपधारा (1) के अधीन संचालित लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप यह पता चलता है कि कर का संदाय नहीं किया गया है या कम कर संदत्त किया गया है या उसका त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या इनपुट कर प्रत्यय को गलत तरीके से लिया या उपयोग किया गया है तो समुचित अधिकारी धारा 73 या धारा 74 के अधीन कार्रवाई आरंभ कर सकेगा।